

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत
संदर्भित वाद संख्या- 478/2013-14

नाम श्री गौड़ी शंकर पाण्डेय बनाम बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित												
24.10.13	<p>श्री गौड़ी शंकर पाण्डेय ग्राम- रेकटार (कुसुमापट्टी) थाना- सिधवाड़ा जिला- दरभंगा के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिहार सरकार के विरुद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत वाद-पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें विवाद के अन्तर्गत निम्न ब्योरे की भूमि है:-</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>मौजा</td> <td>खाता</td> <td>खेसरा</td> <td>रकवा</td> </tr> <tr> <td></td> <td>111 (20)</td> <td>65-161 (2यम)</td> <td>1 बी 0 5 क</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22 6</td> <td>114.</td> <td>10431</td> </tr> </table> <p>वे सं 12 फरव 1544</p> <p>आवेदक के वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों तथा विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् वाद-पत्र को प्रतिग्रहित किया जाता है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें, वे निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 12.11.13 को रखें।</p> <p>लेखापित एव शुद्धित</p> <p>भू0 सु0 उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p>	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा		111 (20)	65-161 (2यम)	1 बी 0 5 क		22 6	114.	10431	<p>28.11.13 वि-सथापित निम्नपादि</p>
मौजा	खाता	खेसरा	रकवा											
	111 (20)	65-161 (2यम)	1 बी 0 5 क											
	22 6	114.	10431											

भूमि सुधार उप समाहर्ता
सदर, दरभंगा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
11-11-13	<p>वादों की हाजिरी है। विपक्षी की ओर से 10.5 टारिक्स किया गया है। पूना: Rनों 28-11-13 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">2. 4. 34. 1711</p>	
28-11-13	<p>वादों की हाजिरी है विपक्षी की उपस्थिति है। वादों के विश अखिवज्जों को पूना तथा वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि यह मामला जमावदी युष्पार से सम्बन्धित है इस तरह के मामला के लिए यह न्यायालय को यह शक्ति प्रदान नहीं है। अस्तु इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाना है।</p> <p>लेखक पत्र । 2. 4. 34. 1711</p> <p style="text-align: right;">2. 4. 34. 1711</p>	